इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 16 | अंक संख्या 12 | जुलाई, 2024 | पृष्ठों की संख्या - 08

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....3
विनियामक के कथन.....4
बीमा.....4
विदेशी मुद्रा.....5
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....6
संस्थान समाचार.....6
नयी पहलकदमी.....7
बाजार की खबरें.....7

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report) का 29वां अंक जारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report) का 29वां अंक जारी कर दिया है। भारतीय वित्तीय प्रणाली की आघात सह्यता एवं वित्तीय स्थिरता के प्रति जोखिम पर वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की उप-समिति के सामूहिक आकलन को दर्शाते हुए, रिपोर्ट में निम्न मुख्य बातों का उल्लेख है।

मुख्य बातें:

- दीर्घकालिक भू राजनीतिक तनावों से बढ़े जोखिमों के वावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ एवं स्थिर बनी रही है।
- व्यापक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता से भारतीय अर्थव्यवस्था व वित्तीय प्रणाली को मजबूत एवं आघात सह्य बने रहने में मदद मिली है। बैंकों व वित्तीय संस्थानों द्वारा निरंतर ऋण विस्तार से तुलन पत्र बेहतर हुए हैं।
- मार्च 2024 के आखिर में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (CRAR) तथा कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET 1) अनुपात क्रमश: 16.8% एवं 13.9% रहा।
- मार्च 2024 के आखिर में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सकल अनर्जक आस्ति अनुपात घटकर विगत कई वर्षों के न्यून स्तर 2.8% पर आ गया जबकि उनका निवल अनर्जक आस्ति अनुपात गिर कर 0.6% हो गया।
- ऋण जोखिम हेतु व्यापक दबाव परीक्षणों जिन्होंने काल्पनिक बेसलाइन, मध्यम व गंभीर दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत एससीबी की जांच की, से पता चलता है कि एससीबी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ हैं। उल्लिखित दबाव परिदृश्यों के अंतर्गत मार्च 2025 में प्रणाली स्तर सीआरएआर क्रमश: 16.1%, 14.4% व 13.0% होने का पूर्वानुमान है।
- मार्च 2024 के आखिर में, एनबीएफसी ने अच्छी स्थिति का प्रदर्शन किया जैसा कि 26.6%, के सीआरएआर, 4.0%, के जीएनपीए अनुपात व 3.3% के आस्ति प्रतिफल (आरओए) से ज़ाहिर होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने थोक मियादी जमाराशियों हेतु न्यूनतम सीमा बढ़ा कर 3 करोड़ रुपए कर दी है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने मास्टर निदेश- भारतीय रिज़र्व बैंक (जमाराशियों पर ब्याज दर) निदेश, 2016 में संशोधन कर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर), लघु वित्त बैंकों व स्थानीय क्षेत्र बैंकों हेतु थोक मियादी जमाराशियों की न्यूनतम सीमा बढ़ा दी है।

तदनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) एवं लघु वित्त बैंकों में ''थोक जमाराशि'' अर्थात एकल रुपया मियादी जमाराशि की न्यूनतम सीमा अब 3 करोड़ रुपए है (जो पहले 2 करोड़ रुपए थी)। स्थानीय क्षेत्र बैंकों के लिए थोक जमाराशि की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपए व अधिक (जैसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लागू है) करने का प्रस्ताव भी है।

व्यक्ति अब सभी डिपाजिटरियों में केवल एक बीएसडीए खाता रख सकेंगे: सेबी

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु सेबी ने 2012 में बेसिक सर्विसेज डिमेट खाता (बीएसडीए) शुरू किया था ताकि प्रतिभूति बाज़ार में भागीदारी बढ़े और लघु पोर्टफोलिओ वाले निवेशकों को निवेश करने में आसानी हो।

अब, सेबी ने अनिवार्य कर दिया है कि कोई व्यक्ति अपने नाम में सभी डिपाजिटरियों में केवल एक बीएसडीए खाता रख सकेगा। किसी भी समय पर, इस बीएसडीए में धारित प्रतिभूतियों का मूल्य, कर्ज व कर्ज से इतर प्रतिभूतियों को मिलाकर, 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

अधिकतम वार्षिक रखरखाव प्रभार इस खाते में धारित प्रतिभूतियों के संयुक्त मूल्य पर निर्भर करेगा। यदि यह मूल्य 4 लाख रुपए से कम है तो रखरखाव प्रभार शून्य होगा। 4 लाख से 10 लाख रुपए के मूल्य की प्रतिभूतियों वाले खाते में रखरखाव प्रभार 100 रुपए होगा। धारित प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण डीपी (Depository Participants) द्वारा प्रतिभूतियों की दैनिक अंतिम कीमत या म्यूचुअल फंड की यूनिटों के निवल आस्ति मूल्य, जैसा मामला हो, के आधार पर किया जाएगा।

पीएफआरडीए द्वारा 1 जुलाई से एनपीएस अंशदानों हेतु समयसीमा में कमी

तकनीकी प्रगति तथा न्यासी बैंक व केंद्रीय रिकार्डकीपिंग एजेंसियों के मध्य बढ़े सिस्टम-स्तरीय इंटरफेस के मद्दे नज़र,पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने न्यासी बैंक को प्राप्त एनपीएस अंशदानों हेतु समयसीमा में कमी कर दी है। अपनी जमाराशियों का योगदान करने हेतु, राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं के पास अब कई माध्यम नामत: पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, ईएनपीएएस, डी-रिमिट, यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड व उनके नियोजक का माध्यम उपलब्ध हैं।

इस प्रकार, किसी निपटान दिवस को न्यासी बैंक को प्रात: 11 बजे तक प्राप्त अंशदान, पूर्व के T+ 1 की बजाय उसी दिन निवेश (T+0) हेतु मान्य होंगे। प्रात: 11 बजे के बाद प्राप्त अंशदान का निवेश अगले दिन (T+1) को किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2023-24 में सूक्ष्म-ऋणों का सबसे बड़ा हिस्सा एनबीफसी-एमएफआई से था: रिपोर्ट

भारतीय सूक्ष्मवित्त क्षेत्र की एक एसआरओ, माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में सूक्ष्म-ऋणों का करीब 40% एनबीफसी-एमएफआई द्वारा संवितरित किया गया है। ये अनुसूचित बैंकों से आगे हैं जिन्होंने 33% का संवितरण किया है। यथा 31 मार्च 2024, सूक्ष्म-ऋण देने वाली संस्थाओं का सकल ऋण पोर्टफोलिओ 4.33 लाख करोड़ रुपए रहा।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

न्यून ऋण उपलब्धता वाले जिलों में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पीएसएल मानदंडों में संशोधन

न्यून औसत ऋण आकार वाले आर्थिक रूप से वंचित जिलों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। तदनुसार, बैंकों को प्रोत्साहित किया गया है कि उच्च औसत ऋण आकार वाले जिलों पर अधिक तवज्जो देने की बजाय उपर्युक्त स्थानों के कर्जदारों को लघु ऋण प्रदान करें। इस हेतु एक प्रोत्साहन ढांचा भी बनाया गया है। वित्त वर्ष 25 से, न्यून ऋण उपलब्धता (प्रति व्यक्ति 9,000 रुपए से कम) वाले जिलों को नए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों में अधिक भार (125%) मिलेगा। उच्च ऋण उपलब्धता (प्रति व्यक्ति 42,000 रुपए से अधिक) वाले जिलों का भार 90% रखा गया है। अन्य सभी जिलों को 100% का वर्तमान महत्व स्तर मिलता रहेगा। जिलों की रैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह पर आधारित होगी।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान भारतीय रुपए में: व्यापार लेनदेन के निपटान हेतु अतिरिक्त चालू खाता खोलना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एडी श्रेणी-I बैंकों को अतिरिक्त विशेष चालू खाते खोलने की अनुमति दे दी है। पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों की समीक्षा के उपरांत, इस कदम से ये बैंक अब इन खातों का आयात व निर्यात दोनों के लिए भारतीय रुपए में लेनदेन हेतु उपयोग कर सकेंगे।

व्यापार निपटान प्रक्रिया को सुगम कर तथा परिचालन स्वतंत्रता बढ़ा कर भारतीय रिज़र्व बैंक व्यापार हेतु प्रक्रियाओं को सरल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत करना चाहता है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ओवरसीज पोर्टफोलिओ निवेश पर कई पाबंदियों से राहत

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ओवरसीज निवेश) निदेश, 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल के संशोधनों के बाद, ओवरसीज पोर्टफोलिओ निवेश से संबंधित कई पाबंदियाँ हटा ली गई हैं। तदनुसार, भारत स्थित निवेशक एवं कंपनियाँ अब संयुक्त राज्य व सिंगापुर स्थित सहित ओवरसीज निधियों में असीमित निवेश कर सकेंगी।

पूर्व में, भारतीय सीमित भागीदार (एलपी) केवल ओवरसीज निधियों द्वारा जारी यूनिटों में निवेश कर सकते थे। अब किसी लिखत चाहे इसका स्वरूप कुछ भी हो, यूनिटों में हो या नहीं, में निवेश अनुमत है। साथ ही यह शर्त की निवेश केवल मेजबान देश के वित्तीय विनियामक द्वारा सीधे विनियमित निधियों में किया जा सकता है और उनके निवेश प्रबंधकों के जरिए प्रबंधित निधियों में नहीं, भी हटा ली गई है।

विनियामक के कथन

वित्तीय प्रणाली को आघात सह्य, भविष्य हेतु तैयार एवं आपदा प्रतिरोधी बनाना है: भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर

कालेज ऑफ सुपरवाइजर्स द्वारा वित्तीय आघात सहनीयता पर आयोजित द्वितीय वैश्विक सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि एक विनियमित संस्था के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक सफलता एवं सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु मजबूत जोखिम न्यूनीकरण उपाय आवश्यक हैं। उन्होंने सांगठनिक कार्यप्रणाली में कृत्रिम मेधा (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) व बिग डेटा अनलिटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों जो वित्तीय संस्थानों के परिचालन में ज़बर्दस्त बदलाव ला सकती हैं, के उपयोग के महत्व पर ज़ोर दिया। एआई तथा एमएल प्रिडक्टिव अनलिटिक्स को समृद्ध कर सकते हैं तथा संभावित जोखिमों व प्रवृतियों की अधिक सटीकता से पहचान करने में बैंकों व एनबीएफसी को समर्थ बना सकते हैं।

सीआईएमएस के उपयोग में तेजी, क्षमता वृद्धि हेतु अब ध्यान एआई, एमएल पर: भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर

भारतीय रिज़र्व बैंक के सांख्यिकी व सूचना प्रबंधन विभाग द्वारा आयोजित 18वें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि विविध क्षेत्रों में निष्कर्ष निकालने हेतु 'सांख्यिकी' के साधन की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय रिज़र्व बैंक का अत्याधुनिक सूचना प्रबंधन, लोक नीति निर्माण एवं देश के समग्र आर्थिक विकास में किस तरह से योगदान कर रहा है। एक वर्ष पूर्व सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस अर्थात केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली के आरंभ को याद करते हुए , श्री दास ने सीआईएमएस में जोड़ी गई नई विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

रिपोर्टिंग हेतु एससीबी, यूसीबी एवं एनबीएफसी को नए पोर्टल पर पहले ही लाया जा चुका है। अब ध्यान कृत्रिम मेधा (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों व असंरचित टेक्स्चुअल डेटा के विश्लेषण पर है जिसके साथ यह सावधानी बरतनी है कि नैतिकता के मुद्दों का ध्यान रखा जाए तथा अलगोरिद्म पूर्वाग्रह मुक्त हो।

जलवायु परिवर्तन जनित जोखिमों का मापन, नीति निर्माण व बीमा उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण: भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री पात्रा

जमाराशि बीमाकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) की 79वीं कार्यपालक समिति बैठक में अपना बीज वक्तव्य देते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल देबब्रत पात्रा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय प्रणालियों के लिए गंभीर जोखिम बनता जा रहा है। उन्होंने हरित जमाराशियों के लिए जमा बीमा कवरेज, जलवायु परिवर्तन जोखिम आधारित विभेदक प्रीमियम लाने व जलवायु संधारणीयता हेतु पूर्वानुमान आधारित निधीयन लाने के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक के जवाबदेह प्रयासों का उल्लेख किया।

आईएडीआई के सर्वेक्षणों के अनुसार, जमा बीमाकर्ताओं का 60%, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) नीतियों को औपचारिक रूप दे चुका है और कुछ नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द इकनामिक सिस्टम (एनजीएफएस) के सदस्य हैं। उप गवर्नर ने कहा कि जलवायु संधारणीयता के अनुरूप विस्तृत ईएसजी नीति बनाना, सावरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश, डिफ़ाल्ट जोखिम पर जलवायु परिवर्तन के असर को मापना एवं जलवायु संबन्धित आपदाओं हेतु एक्चुरियल विश्लेषण के जरिए कस्मिक योजना बनाना, वे आवश्यक कारक हैं जिन पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

बीमा

आईआरडीएआई द्वारा मास्टर परिपत्र जारी कर जीवन बीमा उत्पादों में पॉलिसी ऋण अनिवार्य

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने पॉलिसीधारकों को उनकी नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता हेतु हाल में एक मास्टर परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के द्वारा सभी जीवन बीमा बचत उत्पादों में पॉलिसी ऋण की सुविधा देना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही फ्री लुक अवधि अर्थात पॉलिसी की शर्तों एवं निबंधनों की समीक्षा हेतु दिए गए समय को पूर्व के 15 दिनों से बढ़ा कर 30 दिन कर दिया गया है।

परिपत्र में, पेंशन उत्पादों के तहत आंशिक आहरण की सुविधा दी गई है ताकि पॉलिसीधारकों को जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों यथा बच्चों की उच्च शिक्षा या विवाह, रिहायशी घर/फ्लैट के निर्माण, चिकित्सा व्ययों व गंभीर बीमारियों के इलाज की विशिष्ट वित्तीय जरूरतों को पूर्ण करने में मदद मिले।

आगे, आईआरडीएआई ने पॉलिसीधारकों की शिकायतों के समाधान हेतु मजबूत प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया

है। यदि कोई बीमाकर्ता बीमा लोकपाल के अवार्ड के विरुद्ध अपील नहीं करता और अवार्ड 30 दिनो के भीतर लागू नहीं करता तो शिकायतकर्ता को प्रतिदिन 5000 रुपए के जुर्माने का भुगतान किया जाना होगा।

साधारण बीमा पर आईआरडीएआई के मास्टर परिपत्र में ग्राहक-केंद्रीयता पर ज़ोर

बीमाकर्ताओं हेतु परिचालन की सुगमता सुनिश्चित करते हुए, प्रक्रियाओं को सरल कर निर्बाध ग्राहक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से आईआरडीएआई ने ग्राहक-केन्द्रित मास्टर परिपत्र जारी किया है।

परिपत्र के अनुसार, सामान्य बीमाकर्ता, दस्तावेज़ न होने का हवाला देते हुए दावों को नामंज़ूर नहीं कर सकते। मोटर बीमा ग्राहकों को यथा प्रथम विकल्प 'पे एज यू ड्राइव / पे एज यू गो' की अतिरिक्त सुविधा अनिवार्यत: दी जानी चाहिए। ग्राहक जानकारी शीट शुरू करने से कवरेज के दायरे, अमान्य खर्चों, वारंटियों तथा दावा निपटान प्रक्रियाओं सहित सभी पॉलिसी विवरण मिलेंगे।

दावों के निपटान हेतु सख्त समय सीमाओं के पालन किए जाने, सर्वेक्षकों की नियुक्ति तथा उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ज़ोर देते हुए आईआरडीएआई ने विनिर्दिष्ट किया है कि समय पर सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना बीमाकर्ता का कर्तव्य है। सामान्य बीमाकर्ताओं के खुदरा ग्राहक, बीमाकर्ता को सूचित कर अपनी पॉलिसी किसी भी समय रद्द कर सकते हैं। बीमाकर्ता द्वारा इन ग्राहकों को असमाप्त पॉलिसी अवधि हेतु आनुपातिक प्रीमियम लौटाना होगा। तथापि बीमाकर्ता पॉलिसी को केवल सिद्ध धोखाधड़ी के आधार पर रद्द कर सकते हैं।

मास्टर परिपत्र सभी मौजूदा सामान्य बीमा उत्पादों तथा एड-ऑन कवर पर लागू है। यह पैकेज उत्पाद में सामान्य बीमा कवरेज खंड पर भी लागू है। तथापि, पैकेज्ड उत्पाद में शामिल स्वास्थ्य बीमा उत्पाद इससे अलग रखे गए हैं।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	21 जून 2024 के दिन करोड रुपए	21 जून 2024 के दिन मिलियन अमरीकी डालर	विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में प्रवृत्तियाँ (मिलियन अमरीकी डालर) पिछले 6 माह
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	54,60,976	6,53,711	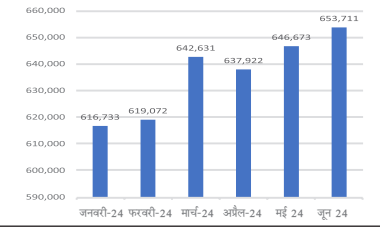
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	47,96,186	5,74,134	
1.2 सोना	4,75,795	56,956	
1.3 विशेष आहरण अधिकार	1,50,781	18,049	
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	38,215	4572	

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

यथा 28 जून 2024 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें – जुलाई 2024 माह हेतु लागू

मुद्रा	दर
अमरीकी डॉलर	5.34
जीबीपी	5.20
यूरो	3.66
जापानी येन	0.08
कनाडाई डॉलर	4.78
आस्ट्रेलियाई डॉलर	4.35
स्विस फ्रैंक	1.21

मुद्रा	दर
न्यूजीलैंड डॉलर	5.50
स्वीडिस क्रोन	3.65
सिंगापुर डॉलर	3.57
हांगकांग डॉलर	4.13
म्यांमार रुपया	3.01
डैनिश क्रोन	3.28

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

ओवरसीज पोर्टफोलिओ निवेश (ओपीआई)

''ओवरसीज पोर्टफोलिओ निवेश'' अथवा ''ओपीआई'' से आशय विदेशी प्रतिभूतियों में, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) से इतर निवेश है जो असूचीबद्ध कर्ज लिखतों या भारत में निवासी व्यक्ति जो आईएफएससी न हो, द्वारा जारी किसी प्रतिभूति या किसी डेरिवेटिव में न हो जब तक की रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा अनुमत न किया गया हो। यह बुलियन डिपाजिटरी रसीदों (बीडीआर) सहित किसी जिंस में निवेश है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

आरएचओ(ρ)

एक ऑप्शन या ऑप्शनों के पोर्टफोलिओ का आरएचओ, ब्याज दर के स्तर में परिवर्तन के संबंध में ऑप्शन या पोर्टफोलिओ के मूल्य में परिवर्तन की दर है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई 2024 माह के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी), धन शोधन निवारण (एएमएल) और वित्तीय आतंकवाद को वित्तपोषण रोकना (सीएफटी)	10 से 12 जुलाई 2024	प्रौद्योगिकी पर आधारित
आईटी व साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराधों को रोकना	11 से 12 जुलाई 2024	
विभिन्न वसूली रणनीतियाँ गैर–विधिक एवं विधिक उपाय	19 से 20 जुलाई 2024	
कृषि व सम्बद्ध कार्यकलापों पर ज़ोर सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज पर कार्यक्रम	24 से 26 जुलाई 2024	
अनुशासन प्रबंधन, अन्वेषण तथा बैंकों हेतु अनुशासनिक कृत्य/कार्यवाही पर कार्यक्रम	24 से 26 जुलाई 2024	

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ और इग्नू- जेएआईआईबी/सीएआईआईबी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए क्रेडिट अंतरण योजना हेतु समझौता

2023 के संशोधित पाठ्यक्रम के तहत जेएआईआईबी/सीएआईआईबी योग्यता हासिल करने वाले आईआईबीएफ के सदस्यों को एमबीए (बैंकिंग व वित्त) में प्रवेश देने के लिए आईआईबीएफ और इग्नू ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एमबीए (बैंकिंग व वित्त) की अधिकतम अवधि के भीतर, आईआईबीएफ से जेएआईआईबी/सीएआईआईबी के संगत विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इग्नू एमबीए (बैंकिंग व वित्त) के 28 कोर्सों में अधिकतम 5 कोर्सों तक की छूट/20 क्रेडिट का ट्रांसफर देगा। अधिक विवरण www.iibf.org.in पर है।

आईआईबीएफ और एफपीएसबी-इंडिया द्वारा 'सीएआईआईबी सदस्यों के लिए सीएफपी प्रमाणन की जानकारी' विषय पर संयुक्त वेबिनार का आयोजन

सीएआईआईबी योग्यता प्राप्त सदस्यों को फास्ट ट्रैक राह से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर प्रमाणन की पेशकश करने हेतु आईआईबीएफ ने एफपीएसबी-इंडिया के साथ सहयोग किया है। इस संबंध में, संस्थान ने 2 जुलाई 2024 को पैनल चर्चा के रूप में 'सीएआईआईबी सदस्यों के लिए सीएफपी प्रमाणन की जानकारी' पर एफपीएसबी-इंडिया के साथ संयुक्त वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में प्रतिष्ठित चर्चाकार आईआईबीएफ के सीईओ श्री विश्व केतन दास, एफपीएसबी-इंडिया के सीईओ श्री कृशन मिश्रा व एफपीएसबी-इंडिया की स्ट्रेटेजिक अलायंस की प्रमुख श्रीमती टीना रावल रहे। चर्चाकारों ने सीएफपी कार्यक्रम के लाभों तथा अवसरों का औचित्य बताया तथा ऐसी योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश भी डाला क्योंकि भारत व विदेश में इस क्षेत्र में योग्य लोगों की मांग बढ़ रही है। वेबिनर में काफी संख्या में बैंकर उपस्थित रहे।

जीएआरपी-आईआईबीएफ का वित्तीय जोखिम व विनियमन (एफआरआर) प्रमाणपत्र कार्यक्रम

ग्लोबल असोसियेशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स (जीएआरपी) के एफआरआर प्रमाणपत्र कार्यक्रम हेतु आईआईबीएफ में तिमाही पंजीकरण 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है और 15 जुलाई 2024 तक जारी रहेगा। यह पाठ्यक्रम बैंकिंग, वित्त, जोखिम, लेखापरीक्षा, लेखांकन, कंसल्टिंग, अनुपालन, सूचना प्रौद्योगिकी, बीमा व विधि सहित क्षेत्रों में कार्यरत मध्यम स्तर के पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है। आईआईबीएफ सदस्यों/गैर-सदस्यों के लिए 300 अमरीकी डालर का वरीय विशेष शुल्क रखा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर आईआईबीएफ व आईएफसी का संयुक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

संस्थान ने जलवायु जोखिम तथा संधारणीय वित्तपोषण पर प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने हेतु इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन के साथ करार किया है। पाठ्यक्रम दो भागों में बंटा है-प्रारंभिक तथा उन्नत। इसका स्वरूप खुद की गति से पूरा किए जाने वाली ई–लर्निंग का है जिसमें प्रत्येक भाग में 60 घंटे की लर्निंग और इसके बाद मूल्यांकन है। सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर आईआईबीएफ व आईएफसी द्वारा संयुक्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी iibf.org.in पर मिलेगी ।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही हेतु बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय "अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व बैंकिंग में उभरती प्रवृत्तियाँ" रखा गया है।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण सूचनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान कि प्रथा रही है कि विनियामक (कों) द्वारा जारी हाल के परिवर्तनों/दिशानिर्देशों संबंधी प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से वास्तविक परीक्षा तिथियों तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है।

इन मुद्दों के कारगर समाधान हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि:

1) संस्थान द्वारा मार्च 2024 से अगस्त 2024 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 31 दिसंबर 2023 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।

2) संस्थान द्वारा सितंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि हेतु संचालित परीक्षाओं के मामले में, प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य से केवल 30 जून 2024 तक विनियामक(कों) द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश तथा बैंकिंग व वित्त की महत्वपूर्ण घटनाएँ शामिल की जाएंगी।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

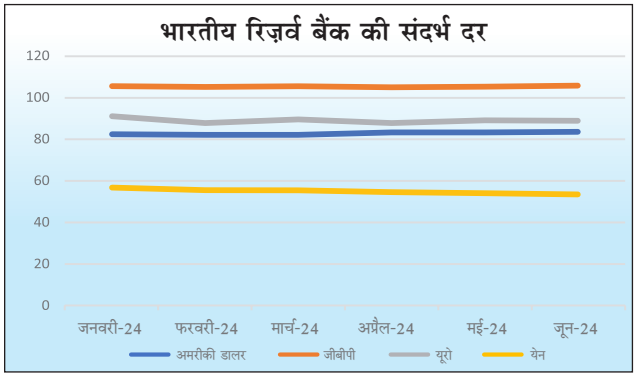

स्रोत: एफबीआईएल

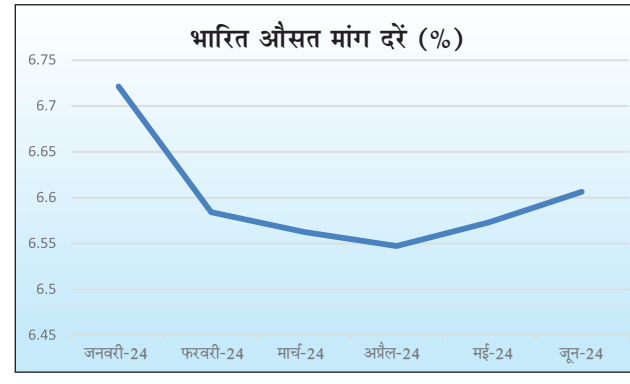

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

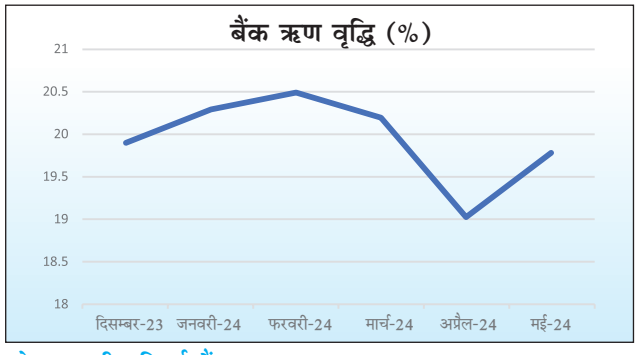

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

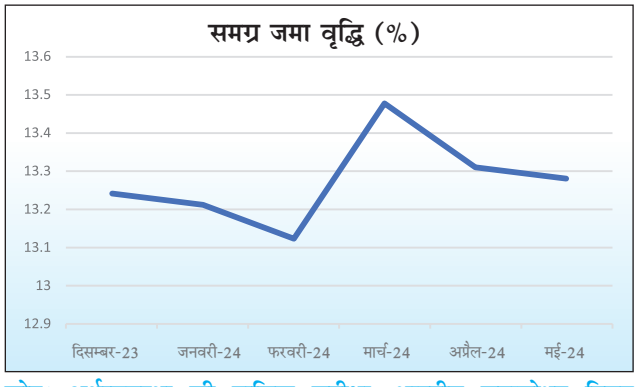

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून, 2024

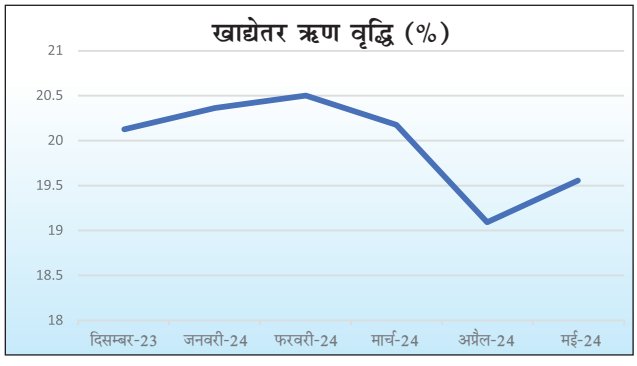

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जून 24

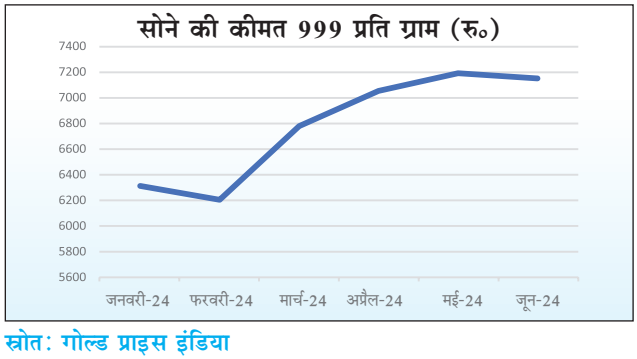

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

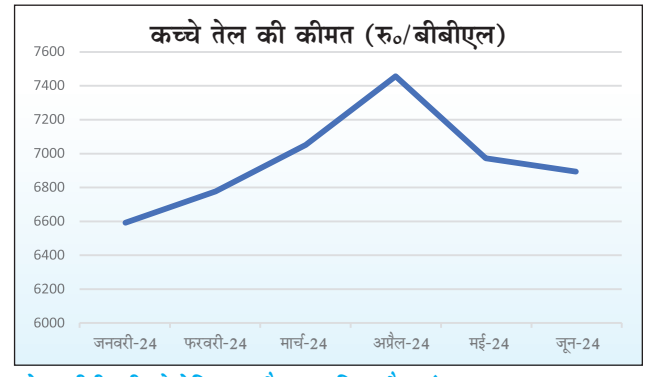

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

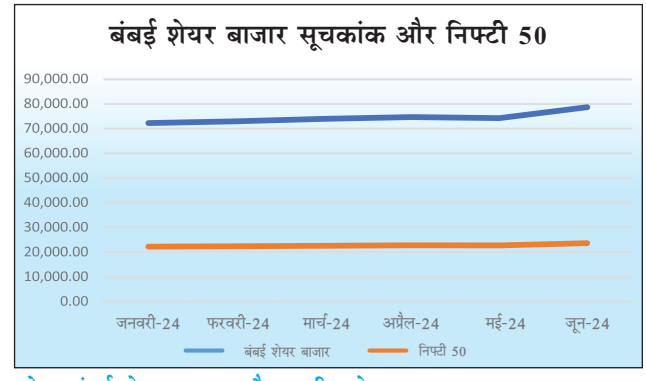

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in